तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज महेन्द्रसिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या : 76/2023 (ऑन लाईन नं. 35352626281090З	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.04.23	अपीलार्थी महेन्द्रसिंह पुत्र शेरसिंह चौहान, पता रामदेवरा का बास, ग्राम सर तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.12..22 में उसके द्वारा (1) पटवार मंडल संरेचा के ग्राम सर की सरकारी गोचर भूमि एवं आबादी भूमि में अतिक्रमण से संबंधित खसरा मय भूमि प्रकार अतिकमणकारी व कब्जेदार का विवरण व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 249 दिनांक 02.03.23 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया प्रार्थी के आवेदन पत्र में वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर तहसील कार्यालय लूणी से संबंधित होने के कारण धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार लूणी को कार्यालय पत्रांक 2540 दिनांक 27.12.22 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। चूंकि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसील कार्यालय लूणी से संबंधित होने एवं उनके द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी!/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	